



भारतीय रिज़र्व बैंक  
परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय

शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में आईपीसीसीटीवी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

शीर्षक में [उल्लिखित कार्य](#) के लिए आवेदन दस्तावेज संबंधी स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2024 थी। उपरोक्त पर प्राप्त प्रश्नों के आधार पर, बैंक ने आवेदन दस्तावेजों में निम्नलिखित संशोधन का निर्णय लिया है:

धारा / खंड / पृष्ठ सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
खंड 3.9, पृष्ठ 10	बोलीदाता को उपरोक्त के अनुसार बताई गई राशि हेतु कार्यों को पूरा करने की अपनी वित्तीय क्षमता दर्शाने के लिए धारा VIII के अनुसार <b>60 करोड़ रुपये (न्यूनतम) की राशि का बैंकर प्रमाण पत्र/ सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र</b> भी प्रस्तुत करना होगा।	बोलीदाता को उपरोक्त के अनुसार बताई गई राशि हेतु कार्यों को पूरा करने की अपनी वित्तीय क्षमता दर्शाने के लिए धारा VIII के अनुसार <b>80 करोड़ रुपये (न्यूनतम) की राशि का बैंकर प्रमाण पत्र/ सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र</b> भी प्रस्तुत करना होगा।
धारा VI, क्रम संख्या 9, पृष्ठ संख्या 31	सीसीटीवी से संबंधित तकनीकी कार्यों में दक्ष पूर्णरूपेण तकनीकी कर्मचारी (स्थायी रोजगार प्राप्त और आवेदक इकाई के पेरोल पर) और तकनीकी योग्यता रखने वाले (इंजीनियरिंग स्नातक या डिप्लोमा) तथा खंड 3.14 (i) में परिभाषित के अनुसार न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले कर्मचारी क) न्यूनतम 25 - 4 अंक ख) 20 से 24 - 3 अंक ग) 15 से 19 - 2 अंक घ) 10 से 14 - 1 अंक	सीसीटीवी से संबंधित तकनीकी कार्यों में दक्ष पूर्णरूपेण तकनीकी कर्मचारी (स्थायी रोजगार प्राप्त और आवेदक इकाई के पेरोल पर) और तकनीकी योग्यता रखने वाले (इंजीनियरिंग स्नातक या डिप्लोमा) तथा खंड 3.14 (i) में परिभाषित के अनुसार न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले कर्मचारी क) न्यूनतम 25 - 5 अंक ख) 20 से 24 - 4 अंक ग) 15 से 19 - 3 अंक घ) 10 से 14 - 2 अंक

2. इसके अलावा, आवेदन दस्तावेज जमा करने की समय सीमा निम्नानुसार होगी:

एक सीलबंद कवर में आवश्यक पात्रता-योग्यता रखने के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पूर्ण "इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन" दस्तावेज को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय।	<b>फरवरी 29, 2024, 14:00 बजे तक</b>
प्राप्त आवेदनों को खोलने की तिथि और समय	<b>फरवरी 29, 2024 15:30 बजे</b>

3. उपरोक्त के अलावा, पूर्व-योग्यता और आवेदन दस्तावेज के अन्य नियमों और शर्तों में बदलाव से संबंधित अन्य प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया गया है।

**प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक  
परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय**